



Neutral Citation No. - 2026:AHC:163378

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7927/2026

सुनील कुमार

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : रबीन्द्र बाबू दोहरे, राजेश सिंह

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2- वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 343 सन् 2026, धारा 69, 351(2) बी.एन.एस., थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत प्रदान की जाए।

3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है; उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क प्रस्तुत किया गया कि सूचनाकर्ता/पीड़िता द्वारा एक झूठी एवं निराधार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि विवाह के झूठे आश्वासन पर उसके साथ बलात्कार किया गया। पीड़िता का यह स्वीकार किया हुआ प्रकरण है कि वह लगभग 27 वर्ष की बालिग युवती थी और वह पिछले तीन वर्षों से आवेदक के सम्पर्क में थी तथा इस अवधि के दौरान दोनों के बीच सहमति से संबंध रहे। आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट टूटे हुए संबंध का परिणाम है और उनके बीच संबंध खराब हो जाने पर इसे दर्ज कराया गया। पीड़िता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का कथन बार-बार बदलता रहा और इससे अभियोजन के प्रकरण में अधिक विश्वास उत्पन्न नहीं होता।

4- विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यक्षदर्शी कथन चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्ट नहीं होता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि तीन वर्ष की इस दीर्घ अवधि के दौरान पीड़िता ने आवेदक द्वारा उसके साथ किए गए कथित यौन शोषण के संबंध में पूर्णतः मौन बनाए रखा और तब तक कुछ नहीं कहा, जब तक उसे यह ज्ञात नहीं हो गया कि आवेदक उससे विवाह करने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रथम कथित यौन संबंध तथा उसके पश्चात तीन वर्षों तक संबंध बने रहने और प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बीच तीन वर्ष का दीर्घ अंतराल इस बात को स्पष्ट करता है कि यह प्रकरण प्रेम संबंध से संबंधित है। जब संबंध खराब हो गया, तब पीड़िता द्वारा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दो वयस्क व्यक्तियों के बीच सहमति से बने संबंध को आपराधिक अपराध में परिवर्तित कर दिया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

5- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है तथा जब भी विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा अपेक्षित होगा, वह उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

6- दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है, तथापि, उन्होंने तथ्यों के संबंध में किए गए कथनों का खंडन नहीं किया है।

7- मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के परस्पर विरोधी तर्कों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

8- सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम दिल्ली राज्य (एन.सी.टी.) एवं अन्य, (2020) 5 एस.सी.सी.

1 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा विवेचना की दिशा को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को भयभीत करना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से बच निकलने की संभावना, जैसे कि देश छोड़कर चले जाना आदि पर विचार करना होता है। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को अभिकथित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए। अग्रिम जमानत प्रदान करना अथवा न करना न्यायालय के विवेक का विषय है।

9- **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अवसर तब उत्पन्न होता है, जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो जाती है अथवा अपराध जघन्य हो अथवा ऐसी संभावना हो कि साक्षियों को प्रभावित किया जा सकता है अथवा अभियुक्त फरार हो सकता है। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, यह आवश्यक नहीं हो जाता कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी को नियमित बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा अथवा समन की अवहेलना करेगा और वास्तव में अभियुक्त ने पूरी विवेचना के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है।

10- **महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2024) 11 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 398** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि जहाँ किसी महिला द्वारा किसी पुरुष के साथ उसकी प्रकृति को जानते हुए दीर्घ अवधि तक शारीरिक संबंध बनाए रखा जाता है, वहाँ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त शारीरिक संबंध केवल विवाह के कथित वचन के कारण ही था। किसी महिला के विवाह के वचन के अतिरिक्त शारीरिक संबंध बनाए रखने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे पुरुष साथी के प्रति व्यक्तिगत पसंद।

11- **प्रशांत बनाम दिल्ली राज्य (एन.सी.टी.), (2025) 5 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 764** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि यह कल्पना से परे है कि शिकायतकर्ता अपनी ओर से स्वैच्छिक सहमति के अभाव में अभियुक्त से मिलना जारी रखेगी अथवा उसके साथ दीर्घकालिक संबंध या शारीरिक संबंध बनाए रखेगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12- इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **समाधान बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2528** के प्रकरण में टिप्पणी की है कि अनेक अवसरों पर ऐसी चिंताजनक प्रवृत्ति पर ध्यान दिया गया है, जिसमें असफल अथवा टूटे हुए संबंधों को आपराधिकता का रंग दे दिया जाता है। बलात्कार का अपराध, जो अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, केवल उन्हीं प्रकरणों में आरोपित किया जाना चाहिए, जहाँ वास्तविक यौन हिंसा, दबाव अथवा स्वतंत्र सहमति का अभाव विद्यमान हो। प्रत्येक खराब हुए संबंध को बलात्कार के अपराध में परिवर्तित करना न केवल अपराध की गंभीरता को तुच्छ बनाता है, बल्कि अभियुक्त पर अमिट कलंक और गंभीर अन्याय भी आरोपित करता है। ऐसे उदाहरण मात्र व्यक्तिगत मतभेद के क्षेत्र से परे हैं। इस संबंध में आपराधिक न्याय तंत्र का दुरुपयोग न्यायपालिका के लिए अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है, जो पहले से ही भारी कार्यभार का सामना कर रही है और ऐसे दुरुपयोग की निंदा की जानी चाहिए।

13- **रजनिश सिंह @ सोनी बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य, 2025 (4) एस.सी.सी. 197** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ कोई महिला किसी पुरुष के साथ अपनी इच्छा से दीर्घकालिक संबंध में रहती है और उस संबंध की प्रकृति से पूर्णतः अवगत होती है तथा ऐसा दर्शाने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि उक्त संबंध तथ्यों की किसी भ्रांति अथवा प्रारंभ से ही दुर्भावनापूर्वक किए गए विवाह के झूठे वचन से प्रेरित था, वहाँ उस पुरुष को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अन्तर्गत बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

14- **प्रमोद कुमार नवरत्न बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, 2026 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 154** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालयों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(n) के अन्तर्गत दाखिल किए गए वास्तविक प्रकरणों की पहचान करने में अत्यंत सावधानी एवं सतर्कता बरतनी होगी तथा उक्त अपराध के गठन के लिए आवश्यक तत्वों की पहचान करनी होगी। ऐसे वास्तविक प्रकरणों को उन वाद-विवादों से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए, जो सहमति देने वाले वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंधों से उत्पन्न होते हैं और जो किसी विवाद एवं मतभेद अथवा बाद में विचार बदल जाने के कारण कटु हो जाते हैं।

15- माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रविश सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1055** के प्रकरण में टिप्पणी की है कि यदि दो समझदार वयस्क

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दीर्घकालिक शारीरिक संबंध बनाए रखते हैं, तो यह उपधारणा उत्पन्न होगी कि उन्होंने स्वेच्छा से सहमति वाले संबंध को चुना था और विवाह के वचन का बाद में पूरा न होना किसी अपराध को आकर्षित नहीं करेगा।

16- प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2019) 9 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 608 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहाँ विवाह करने का वचन झूठा हो और वचन देने वाले का वचन देते समय ही उसे पूरा करने का कोई आशय न हो, बल्कि महिला को धोखा देने का आशय हो ताकि उसे यौन संबंध बनाने के लिए सहमत किया जा सके, वहाँ ऐसी "तथ्य की भ्रांति" विद्यमान होती है, जो महिला की "सहमति" को दूषित कर देती है। तथापि, मात्र वचन का उल्लंघन झूठा वचन नहीं कहा जा सकता। अतः झूठे वचन को स्थापित करने के लिए यह प्रदर्शित करना आवश्यक होगा कि वचन देने वाले का वचन देते समय ही अपने वचन का पालन करने का कोई आशय नहीं था।

17- सोनू @ सुभाष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2021) 18 एस.सी.सी. 517 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह पाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा कार्यवाही को निरस्त कर दिया कि अभियुक्त एवं पीड़िता के बीच संबंध सहमति पर आधारित था और दोनों पक्ष डेढ़ वर्ष की अवधि से संबंध में थे तथा बाद में अभियुक्त ने अभियोजिका से विवाह करने में अनिच्छा व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

18- अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के सभी संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना तथा यह देखते हुए कि आवेदक का प्रकरण उपर्युक्त निर्णयों के अंतर्गत पूर्णतः आच्छादित है, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनता है।

19- तदनुसार, निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है:-

(i)- उपर्युक्त प्रकरण में सम्मिलित आवेदक-सुनील कुमार की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर इस शर्त पर रिहा किया जाएगा कि वह संबंधित थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii)- आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा विवेचना किए जाने के प्रयोजनार्थ जब भी अपेक्षित हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा;

(iii)- आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए; तथा

(iv)- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

20- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग की स्थिति में लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष समुचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

05 अगस्त, 2026

ए.पी. पाण्डेय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।